

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2012

मद क्रमांक 1

राज्यपाल के सचिवालय के लिये वाहन क्रय हेतु ₹ 42,96,121 आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः इस हेतु आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 42,96,121 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 2

माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों के स्वेच्छा अनुदान मद में ₹ 230.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 3 से 4

माननीय मुख्यमंत्री निवास कार्यालय के आथित्य व्यय एवं कार्यालयीन सामग्री हेतु ₹ 115.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 से 7

कार्यालय, आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय हेतु ₹ 82.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 82,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

कार्यालय, आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली प्रवास पर आने वाले विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट अतिथियों के लिये 02 नवीन हल्का वाहन क्रय हेतु ₹ 40.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 9 से 13

सी. आई. डी. इकानॉमिक कार्यालय के अन्य आकस्मिक मजदूरी, कार्यालयीन व्ययों, मशीन तथा उपकरण क्रय एवं प्रतिस्थापन अंतर्गत वाहनों का क्रय हेतु ₹ 39.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 39,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14 से 15

एन्टी करप्शन ब्यूरो कार्यालय के अन्य आकस्मिक मजदूरी, एवं पेट्रोल तेल आदि हेतु ₹ 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 16 से 17

राज्य प्रशासन अकादमी के अधिकारियों कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं व्याख्याताओं के मानदेय हेतु ₹ 80.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

राज्य प्रशासन अकादमी के लिये जनरेटर क्रय हेतु ₹ 27.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 27,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 19

शंकर नगर रोड स्थित आवास गृह क्रमांक सी-2 में भवन निर्माण कार्य हेतु ₹ 52.99 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 52,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।